

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-97/2026-

/स्वा०,

पटना, दिनांक :

डॉ० विजयता, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के दिनांक-01.03.2024 से 30.06.2024 तक कुल-122 दिन प्रथम संतान के देखभाल हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1462(25), दिनांक-14.07.2026 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता एवं वित्त, विभागीय ज्ञापांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात डा० विजयता के पक्ष में 506 (पाँच सौ छः) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-97/2026-

2116(25)

पटना, दिनांक : 11/9/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक--सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डॉ० विजयता सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. J. Malik 31/8/26
सरकार के उप सचिव।